न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 253 / 2016

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र मांगु माली निवासी कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स / वादीगण

बनाम

1. सोहन लाल पुत्र मांगू बलाई निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या 82 / 2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.5.2016

अभिभाषक : 1. श्री मोहम्मद हुसैन कुरेशी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री श्री मेहराज अली , प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 19.07.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा की सरहद में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर निम्न आराजियात खाता संख्या 913 एवं पुराना खाता संख्या 647 दर्ज है ।

आराजी नं0 नया	रकबा		पुराना न0	रकबा
1895	0.02	गै0मु0चाह	2449	0.02
3793 / 1894	01.12	चाह	2450	01.12

महकमा बन्दोबस्त मेवाड में दूसरे सेटलमेण्ट के समय उक्त आराजियात का नम्बर निम्नानुसार था।

आराजी नं0नया	रकबा	किस्म	आ0न0 पुराना	रकबा
2450	02.02	भू.रे.	1229	02.05

इस सेटलमेण्ट में उक्त आराजी का इन्द्राज सहवन से सूरजमल पुत्र किसना माली के नाम पर हो गया जबकि यह आराजी नन्दा पुत्र बरदा के नाम पर थी नन्दा के लाऔलाद फौत हो जाने से उनकी समस्त आराजियात उत्तराधिकार से वादी के दादा प्रताप पुत्र मांगू जी के नाम पर हो गई। वादी स्व0 प्रताप जी का पोता है। वादी एवं सूरजमल जी का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है :–

किशन माली
↓
सूरजमल माली
↓ ↓
नारायण लाला
↓ ↓
भैरू उदयलाल

पीता पुत्र साराजी माली
↓
उंकार जी माली
↓

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रताप जी माली
↓
मांगू जी माली
↓
रामेश्वर माली

2. नन्दा पिता बरदा माली के नाम पर विगत में आराजी नम्बर 1146 , 1397, 776, 777, 778, 779 एवं 1229 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा का इन्द्राज गत सेटलमेण्ट से पूर्व मेवाड राज्य के सेटलमेण्ट के समय था। उनके लाऔलाद फौत हो जाने पर अलावा आराजी संख्या 1229 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के समस्त आराजियात का वादी के स्व0 दादा श्री प्रताप जी के नाम पर नामान्तरकरण हो गया परन्तु आराजी नम्बर 1229 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का इन्द्राज सूरजमल पुत्र श्री किसना जी के नाम पर गलत तरीके से हो गया था। उक्त आराजियात का नामान्तरकरण गत मेवाड राज्य के सेटलमेण्ट के समय स्व0 प्रताप जी पिता उंकार जी माली निवासी कोदूकोटा के नाम पर होना चाहिये था जो गलती से सूरजमल पिता किसना जी के नाम पर हो जाने से सूरजमल जी के वारिसान नारायण लाल पुत्र सूरजमल जी के नाम पर चली गई । बवक्त गत सेटलमेण्ट उक्त आराजियात नारायण लाल पुत्र सूरजमल जी के नाम पर थी। नारायण लाल पुत्र सूरजमल जी से उक्त भूमि का स्थानान्तरण बरदा रेगर के नाम पर हो गया तथा 7–8 वर्ष पूर्व बरदा रेगर के वारिसान रामनाथ से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर उक्त आराजी स्थानान्तरित हो गई जो कि सर्वथा गलत होने से वादग्रस्त भूमि में वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। वादी को जब इस तथ्य की जानकारी हुई तो उसने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि उक्त आराजी वादी के दादा जी के खातेदारी की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि वह खातेदार है। अतःवादग्रस्त आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.02 गैर मुमकिन चाह एवं आराजी नम्बर 3793/1894 रकबा 1.12 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कराई जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.5.2016 द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी यथासमय नहीं हो सकी चूंकि अपीलाधीन निर्णय राजस्व कैम्प में पारित किया गया था। अधिवक्ता से जानकारी करने पर नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । निर्णय की प्रति प्राप्त करने के उपरान्त अपीलार्थी की पत्नि बीमार हो गई जिस कारण अपीलार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया । उसके बाद अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत की गई । इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 1895 नया पुराना 2449 रकबा 2 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3793/1894 जिसका पुराना नम्बर 2450 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा था बन्दोबस्त मेवाड सेटलमेण्ट के समय उक्त आराजियात का पुराना नम्बर 1229 व नया आराजी नम्बर 2450 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा सहवन से सूरजमल पिता किशना के नाम पर हो गया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जबकि यह आराजी नन्दा पुत्र बरदाजी के नाम पर थी तथा नन्दा जी के ला औलाद फौत हो जाने से उनकी समस्त आराजियात उत्तराधिकारी से वादी के दादा प्रताप पुत्र मांगू के नाम पर हो गई । वादी प्रताप जी का पोता है। परन्तु आराजी नम्बर 1229 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का इन्द्राज सूरजमल पिता किशना के नाम पर गलत इन्द्राज हो गया । सूरजमल जी से विरासत से उनके पुत्र नारायण के नाम पर चली गई । नारायण लाल पुत्र सूरजमल जी से उक्त भूमि का स्थानान्तरण अवैध तौर पर बरदा रेगर के नाम हो गया तथा सात–आठ वर्ष पूर्व बरदा रेगर के वारिसान रामनाथ से प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर स्थानान्तरण हो गई जबकि विवादित भूमि पर आज भी अपीलार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस गलत इन्द्राज की दुरूस्ती करवाने के लिए अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया ।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी ने अपने ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी दोनों के एक ही गांव का होने के कारण इनमें प्रेम एवं भाईचारा होने एवं मौतबिरान व्यक्तियों की समझाईश से आपसी राजीनामा होना स्वीकार किया तथा वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया यह भी कथन किया गया है कि विक्रय की समस्त राशि वादी के द्वारा प्रतिवादी को अदा कर दी गई है । इस कारण आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई विवाद नहीं रहा । अतः इन्द्राज दुरूस्ती वादी के नाम पर की जावे। दिनांक 27.5.2016 को ग्राम कोदूकोटा में राजस्व कैम्प के दौरान अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये एवं वास्तविक तथ्यों की जानकारी लिए बिना ही अनुसूचित जाति की भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का अन्तरण सामान्य वर्ग के लोगों के नाम पर नहीं किया जा सकता है इस प्रकार कर अंकर करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण गलत होने से सूरजमल के नाम अन्तरित हुई । इस प्रकार जब भूमि का अन्तरण ही अवैध एवं शून्य है तो सूरजमल के वारिसान द्वारा भूमि का किया गया अन्तरण भी अवैध एवं शून्य प्रभावी है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं कर मात्र इस आधार पर कि स्वर्ण कास्ट द्वारा एस सी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहता है और अपने नाम कराना चाहता है । अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं उससे पूर्व अन्तरणकर्ता कभी भी काबिज नहीं रहे केवल मात्र राजस्व अभिलेख में इन्द्राज होने मात्र से उन्हें खातेदार मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम नहीं की गई एवं न ही उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है। अतः प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । प्रकरण में राज्य सरकार फोर्मल पक्षकार है। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अपीलार्थी का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नन्दा पुत्र बरदा जी के नाम पर दर्ज थी । नन्दा जी के ला औलाद फौत हो जाने से उनकी समस्त आराजियात वादी के दादा प्रताप पुत्र मांगू के नाम पर दर्ज हो गई परन्तु आराजी नम्बर 1229 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का इन्द्राज सूरजमल पिता किशना के नाम पर गलत इन्द्राज हो गया । इस प्रकार गलत इन्द्राज होने के कारण सूरजमल से विरासत से उसके पुत्र नारायण के नाम पर आई एवं नारायण से उक्त भूमि बरदा रेगर के नाम पर अन्तरित हुई तथा 7–8 वर्ष बरदा रेगर के वारिसान रामनाथ ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर अन्तरित कर दी । इस प्रकार उक्त गलत इन्द्राज के कारण भूमि बाद में अन्तरित होती गई एवं वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जबकि कब्जा कभी भी उनका नहीं रहा है कब्जा तो अपीलार्थी का ही चला आ रहा है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड, उदयपुर खसरा बन्दोबस्त के अनुसार आराजी नम्बर 2450 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा मौजा कोदूकोटा सूरजमल वल्द किसना माली के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। जबकि इससे पूर्व के राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर आराजी नम्बर 1229 नन्दा वल्द बरदा माली के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 2450 के साबिक आराजी नम्बर 1229 थे। वादग्रस्त आराजी जिसके मेवाड सेटलमेण्ट से पूर्व 1229 आराजी नम्बर थे वह अपीलार्थी के पूर्वज नन्दा वल्द बरदा माली के नाम पर दर्ज थी। जो मेवाड सेटलमेण्ट के दौरान सूरजमल पिता किसना माली के नाम दर्ज हुई एवं बाद के सेटलमेण्ट में नारायण पिता सूरजमल के नाम पर दर्ज हुई। बाद के भू प्रबन्ध सेटलमेण्ट के दौरान आराजी नम्बर 2450 मीन के हाल आराजी नम्बर 3793/1894 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1895 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह दर्ज किये गये। उक्त इन्द्राज नारायण पिता सूरजमल के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि नारायण के उपरान्त बरदा रेगर एवं उसके उपरान्त बरदा रेगर के वारिसान रामनाथ के नाम पर दर्ज हुई एवं वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 सोहन लाल पिता मांगू बलाई के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। चूंकि वादग्रस्त भूमि महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड, उदयपुर खसरा बन्दोबस्त के अनुसार आराजी नम्बर 2450 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से पूर्व के राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर आराजी नम्बर 1229 नन्दा वल्द बरदा माली के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात पूर्व में नन्दा वल्द बरदा माली के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी । नन्दा जी के लाऔलाद फौत होने से वादग्रस्त आराजी के अलावा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात तो प्रताप पुत्र मांगू के नाम पर हो गई परन्तु वादग्रस्त आराजी जिसके पूर्व में नम्बर 1229 थे जो सूरजमल पिता किशन माली के नाम पर दर्ज हुई। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी अन्तरित होते होते प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसके हाल आराजी नम्बर 1895 एवं 3793/1894 है। अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात बाबत वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण मौका दिया जाना अपेक्षित था जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात में यह इन्द्राज किस प्रकार से दर्ज हुए परन्तु अपीलार्थी/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कैम्प कोर्ट कोटूकोटा में प्रकरण का निस्तारण कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में प्रकरण में जवाब दावा आने के उपरान्त तनकियात कायम कर , उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज, रेकार्ड, साक्ष्य के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट में बिना पक्षकारों की सुनवाई किये ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.5.2016 को निरस्त कर किया जाता है एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का समुतिच अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण के आधार पर तनकिवाईज निर्णय पारित करें। उभयपक्ष

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय में दिनाक 26-09-2018 को उपस्थित रहे।

13. निर्णय आज दिनांक 19.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

19/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा